



Neutral Citation No-2026:AHC:8375

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 4487 वर्ष 2025

पिटू और 3 अन्य ..... याचिकाकर्ता

बनाम

चकबंदी के उप निदेशक और 24 अन्य ..... प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: राकेश कुमार

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रार्थना के साथ इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का आह्वान किया है: -

"i. उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना और प्रतिपक्षी संख्या-1 द्वारा पारित संशोधन संख्या-248/2024 और 249/2024 में दिनांक 01.04.2025 के आक्षेपित आदेश को रद्द करना। (रिट याचिका का अनुलग्नक संख्या-1)

ii. प्रतिपक्षी संख्या-2 द्वारा पारित दिनांक 18.08.2023 के आदेश के अनुसरण में याचिकाकर्ताओं को बढ़ा हुआ हिस्सा प्रदान करने का निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

3. लंबे समय तक विचार-विमर्श के बाद, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने मौखिक रूप से उत्तर प्रदेश चकबंदी/जोत एक्ट की धारा 48(1) के तहत पुनरीक्षण संख्या-202454137400000623, खेमपाल बनाम सोनू और अन्य पर शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए चकबंदी के उप निदेशक, संभल (प्रतिपक्षी संख्या-1) को परमादेश जारी करने का अनुरोध किया है।



4. स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि प्रतिपक्षी संख्या-1 के समक्ष विचार लंबित होने तक पुनरीक्षण के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी किया जाता है।

5. इस विवेचन में, जैसा कि उपर्युक्त है, इस मामले को लंबित रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा, इसलिए, यह न्यायालय प्रस्तुत रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, चकबंदी के उप निदेशक संभल (प्रतिपक्षी संख्या-1), जिसके समक्ष उपरोक्त मामला निपटान लंबित है, को निर्देश के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका को, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर, अधिमानतः इसे शीघ्रता से तय करने के लिए, अंतिम रूप से निपटाने के लिए उचित समझता है।

6. यह उम्मीद की जाती है कि यह कानून के अनुसार, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, एक तर्कसंगत और आख्यापक आदेश द्वारा तय किया जाना चाहिए।

7. उपरोक्त निर्देश के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

जनवरी 13, 2026

विनय

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)